राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पांची देवी बनाम सुमित्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
109/2020		
22/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता रेस्पो. को उपस्थित होकर लिखित/मौखिक बहस किये जाने हेतु पत्रावली दिनांक 24/12/2025 को पेश हो।	
24/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 29/12/2025 को पेश हो।	
29/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो. संख्या 1 की एकपक्षीय बहस समायत करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 09/01/2020 पारित करते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाते हुये अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को ग्राम बिलोद पटवार हल्का बिलोद, तहसील जमवारामगढ़ में स्थित खसरा नम्बर 473 रकबा 0.63 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने एवं प्रार्थीयां के कृषि कार्य व उपयोग-उपभोग में दखल बाधा उत्पन्न नही किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीया द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अपीलाधीन आदेश एक अन्तरिम आदेश है एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बाद सुनवाई उभयपक्षकारान युक्तियुक्त आदेश पारित किया जाना अभी शेष है, ऐसे में अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चाराजोही किये बगैर ही सीधे ही इस अपील के माध्यम से अन्तरिम अपीलाधीन आदेश को चुनौती दिया जाना विधिसम्मत प्रतीत नही होता है। अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस आधार/साक्ष्य अपील के स्तर पर पेश नही किया गया है, जिससे की अपीलाधीन अन्तरिम आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत होता हो। अत: अधीनस्थ न्यायालय	

(187)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पांची देवी बनाम सुमित्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09/01/2020 में कोई हस्तक्षेप नही करते हुये अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	